

RCM8/23043954

कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाहीह, (जिला- लातेहार)

अनुसूचि 14 कागज 5021

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्ताक 1941 का नियम 123)

आदेश पत्रक-सं०.....से.....तक

जिला.....लातेहार.....सं०.....114.....तक.....5022-23

कैसे का प्रकार :- CS रैयती भूमि का RS में जनारंभी अद्यतन हेतु।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यालय दिनांक
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

1 14.12.22 2 अध्यक्ष/आवेदिका जायें देवी निरा/पति जायें देवी
लातेहार के द्वारा CS से RS पंजी II को अद्यतन कर लगाने स्वीकृत करने हेतु अनुसूचि
किया है। जो निम्न है:-

नौजा	खाता नया	लॉट	रकबा
<u>राजवरी कला</u> <u>10</u>	<u>346</u>	<u>1257 -</u>	<u>0.03 2/3 रु</u>

राजस्व उप निरीक्षक /अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आन इस्तेहार
निर्गत करें। दिनांक 29.12.22 को अभिलेख उपस्थापित करें।

Flow
14.12.22
अंचल अधिकारी,
बरवाहीह।

29.12.22 अभिलेख उपस्थापित । आन इस्तेहार का तानिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा
किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच
प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में
प्रतिवेदित किया है कि श्री जायें देवी निरा/पति राजवरी कला
साकिन राजवरी कला ने रैयती वाद संख्या 45/1984-85 द्वारा रकबा 246 रु

...सब भूमि मांग किंग है। जिसका C.S. संख्या सं. का प्रतिनिधित्व किया प्रकार है।

C.S. के अनुसार =

गौजा का नाम/थाना सं०

खाता

प्लॉट

पृष्ठ

1/3वरी/मय
10

94

615

0-4-2-17

R.S. के अनुसार =

गौजा का नाम/थाना सं०

खाता

प्लॉट

पृष्ठ

1/3वरी/मय
10

346

1257

0-4-2-17

उक्त भूमि का जमाबंदी जोती है मिली जा रही है साकिन
...के नाम से C.S. मांग पंजी॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं
आवेदक का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में रैयती बाद
सं० 45 / 1927 द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के
नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया जा रहा था। वर्ष 1927 तक
लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद/खतियान की छायाप्रति एवं अमीन द्वारा देखा किए गए
नये/पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं रैयती बाद
संख्या 45 / 1927 के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान
वर्ष 1927 तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार
विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1704 दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में लगान रसीद
निर्गत करने हेतु चालू पंजी-॥ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की 1927 की
जाती है। उक्त आदेश किसी भी राक्षम न्यायालय के स्वतंत्र संबंधित पारित आदेश से प्रभावित
होगी।

तदनुसार आदेश का उदघरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।
आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपालन
प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

29.12.20

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।